न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1064 सन 2026
CNR. No.UPSP010032422026

नासिर पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला, निवासी मौहल्ला बैरून कोटला कस्बा व थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य । **.....विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या 284/2025
धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0,
थाना नानौता, जिला सहारनपुर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

19.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **<u>नासिर</u>** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अफजाल पुत्र इकबाल उर्फ बाल्ला का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी वर्तमान में ग्राम सुभरी का चौकीदार है। दिनांक 13.11.2025 को 12 बजे वह अपने गांव के जंगल के रास्ते से होते हुए ग्राम सोनाअर्जुनपुर की ओर जा रहा था, जैसे ही वह भूप सिंह के आम के बाग में पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ आवार कुत्ते जानवर की खाल को इधर–उधर खींच रहे थे। पास जाकर देखा तो खाल व कुछ अन्य अवशेष एक खड्डे में पडे हुए है, जो कि देखने पर गौवंश के अवशेष प्रतीत हो रहे हैं। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उसका उक्त घटना से कोई मतलब वास्ता किसी प्रकार का नही है, उसने कोई अपराध नही किया है, वह निर्दोष है। उसके विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नही बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन माह के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी हुई है। तथाकथित घटना का कोई जनसाक्षी नही है। प्रार्थी पूर्व सजायाफता नही है। प्रार्थी दिनॉक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गौकशी करने का आक्षेप है। प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना पुलिस द्वारा गिरफतार सहअभियुक्तगण के बयान के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना अभिकथित नही है। मौके से

किसी प्रकार के गोमांस की बरामदगी होना दर्शित नही है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवदेक/अभियुक्त **नासिर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता हैं। अभियुक्त द्वारा अंकन 40,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–19.03.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891